दिल्ली में निष्काशन की नियत प्रक्रिया

नीति का संक्षिप्त विवरण

मई 2022

मनीष

सीनियर रिसर्च एसोसिएट,

सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च

INDIA HOUSING REPORT

CENTRE FOR POLICY RESEARCH

सार

आधारभूत सुविधाओं को लागू करने वाले अधिकारों में, जैसे आवास का अधिकार के अभाव में मलिन बस्तियों में रहने वाले और अन्य असंगठित बस्तियों में रहने वाले लोगों ने पिछले कुछ वर्षों में ख़ुद को संगठित किया और अदालतों द्वारा और राजनैतिक वक़ालत दोनों का उपयोग करके ख़ुद को बेदख़ली से बचाने की कोशिश की है।इसके परिणामस्वरूप इन समुदायों के लिए कम से कम कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों (और सीमित मौलिक अधिकार) का विस्तार करते हुए, संवैधानिक प्रावधानों और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं पर निर्भर निर्णयों, नीतियों और कुछ कानूनों की एक श्रृंखला तैयार की गई है। यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इन प्रक्रियाओं और प्रावधानों का संक्षिप्त दस्तावेजीकरण करता है।

स्वीकृति

मैं दिल्ली हाउसिंग राइट्स टास्क फोर्स के सभीसाथी सदस्यों का आभारी हूं, जिनका काम निरंतर प्रेरणा का स्रोत रहा है, और विशेष रूप से, डगलस व्याट, गौतम भान, मुक्ता नाइक और तृप्ति पोद्दार, जिन्होंने पहले के मसौदे पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां की,जो मेरे लिए बहुत मददगार साबित हुई।

अनुवाद क्रेडिट

अशोक कुमारी

यह कार्य क्रिएटिव कॉमन एट्रीब्यूशन - नॉन कमर्सिअल-शेयर ए लाइक 4.0 अंतर्राष्ट्रीय लाइसेंस के तहत लाइसेंस प्राप्त है।

परिचय

आवास के पर्याप्त सुलभ अधिकार की क़ानूनी गारंटी के अभाव[1] ने भारत के विभिन्न शहरों के अनौपचारिक मजदूरों- जो प्रायः शहरी गरीब एवं प्रवासी मजदूर में शामिल हैं- की हालत असहनीय है, आवास के ऊँची कीमतों के कारण वे अनौपचारिक बस्तियों में रहते हैं जो सार्वजानिक खाली जमीन पर झोपड़ियों में निवास करते हैं। लगातार बातचीत नौकरशाही की उदासीनता, राजनीतिक गोलबंदी एवं कभी कभी राजकीय समर्थन के संयोजन के जरिए वे बिना किसी बाधा के प्रायः कई सालों तक निवास करने में सक्षम हो पाते है।[2] लेकिन तब क्या होता है जब राज्य को ज़मीन की जरूरत होती है या पड़ोस में रहने वाला अमीर लोगों द्वारा आमतौर पर शिकायत की जाती है ? तब राज्य के हस्तक्षेप से जमीन दख़ल करने वाले लोगों के पास अगर ज़मीन के काग़ज़ात नहीं है तो उन्हें "अतिक्रमण" करने वाला माना जाता है। किसी प्रकार की क़ानूनी सुरक्षा के अभाव में ये वंचित लोग बिना किसी मुआवजा या भुगतान पाये बेदखली या विस्थापन के शिकार हो जाते हैं। इस तरह इस बात की परवाह किये बगैर की उन्होंने जमीन को रहने लायक बनाने के लिए कई सालों तक प्रयास किये हैं, रातों-रात उनके जीवन एवं जीविका को बर्बाद कर दिया जाता है। वस्तुतः ऐसा वास्तविकता से अधिक कई बार उनके साथ ऐसा होता रहा है।

हालाँकि सालों से यह समुदाय अदालत एवं राजनैतिक समर्थन के जरिये अपनी पहचान को बनाये रखा है और शहर के प्रति अपने योगदान को दिखाता रहा है, जिसके परिणास्वरूप संवैधानिक प्रावधानों एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भारत की प्रतिबद्धता के आधार पर कई न्यायिक फैसले हुए है और कार्यकारी नीतियां बनी है। इसके चलते बेदखली के सच का सामना कर रहे अनौपचारिक बस्तियों में रह रहे समुदायों के लिए कम से कम कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों (और सीमित स्थायी अधिकारों) का विस्तार हुआ है। इन संक्षिप्त दस्तावेजों में राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में चली इस प्रक्रिया को पेश किया गया है। राज्य द्वारा लगातार बेदख़ल करने के प्रयासों की अवहेलना करते हुए अनौपचारिक मजदूरों ने सामुदायिक स्तर पर जगह दख़ल करने के प्रयास किये है। स्वतंत्रता के बाद से उनके एवं राज्य के बीच में शहर से बेदखली करने का तनाव हमेशा बना रहा है।

दिल्ली में झोपड़-पट्टियों एवं बेदख़ली का संक्षिप्त इतिहास

दिल्ली में मास्टर प्लान के तहत खरीदी योग्य आवास के अपर्याप्त प्रावधान और दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा यहाँ तक की अपने सीमित लक्ष्यों[3] को पूरा करने की विफलता के कारण बड़ी संख्या में लोग प्रायः सार्वजानिक जमीन पर बनी अनौपचारिक बस्तियों में अपना आवास ढूंढने को मजबूर होते रहे है।[4] राज्य की प्रतिक्रिया प्रारंभ में झोपड़ पट्टी हटाओ अभियान के रूप में सामने आती है खासकर आपातकाल (1970 के दशक के मध्य में) के दौरान ऐसा देखा गया। इन अभियानों में कोई उचित प्रक्रिया का दिखावा तक नहीं किया गया; पुनः विस्थापन की तो बात ही छोड़िये, यहाँ तक की तोड़ने से पहले कोई नोटिस भी नहीं दिया गया।

बाद में विस्थापन के कुछ प्रयास किये गए और शहर के बाहर कुछ बेदख़ल लोगों को ढांचागत कालोनियों में प्लॉट दिए गए। इन प्लॉटों का आकार 1970 के दशक से 1990 के दशक तक उत्तरोत्तर छोटे होते गए, जिन्हें लीज़ के आधार पर आवंटित किये गए थे।[5] इन प्लाटों के आसपास कोई अधिसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती और अगर कहीं उपलब्ध है भी तो वो बहुत ख़राब स्थिति में होती है। नई कालोनियों में उन्हें बसाने की इस प्रक्रिया में काफ़ी देर की जाती है इस तरह की प्रक्रिया 2000 के दशक तक चलती रही, जब

[1] दक्षिण अफ्रीका और केन्या जैसे कुछ देशों को अपने संविधान में निहित आवास का अधिकार है, जबकि कनाडा जैसे अन्य देशों में आवास तक पहुंच के लिए विधायी आदेश हैं। भारत में, अदालतों ने संविधान के अनुच्छेद 21 में आवास के सीमित अधिकार को पढ़ा है, जो जीवन के अधिकार की गारंटी देता है। संघ और राज्य सरकारों द्वारा आवास योजनाओं से एक सीमित मौलिक अधिकार भी उभरा है, जो आमतौर पर झुग्गी-झोपड़ियों के निवासियों या अपर्याप्त समझे जाने वाले आवास की स्थिति में रहने वालों पर लक्षित होते हैं। हालाँकि, यह संबंधित योजना के मानदंडों के तहत योग्य पाए जाने वालों तक ही सीमित है।

[2] देखें, उदाहरण के लिए, सोलोमन बेंजामिन, ऑक्युपेंसी अर्बनिज्म: रेडिकलाइजिंग पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी बियॉन्ड पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स, 32 (3) इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अर्बन एंड रीजनल रिसर्च (2008), पीपी। 719-729।

[3] . विस्तृत विवरण के लिए, शाहना शेख और बेन मंडेलकर्न, दिल्ली विकास प्राधिकरण देखें: विकास के बिना संचय, दिल्ली परियोजना के शहरों की एक रिपोर्ट, सीपीआर (दिसंबर 2014)।

[4] . दिल्ली के आवास और नियोजन के मुद्दों के लिए आगे का संदर्भ गौतम भान, नियोजित अवैधता: आवास और दिल्ली में योजना की 'विफलता' 1947-2010, 48 (24) आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक (2013), पीपी 58 - 70 में प्रदान किया गया है।

[5] देखें, शाहना शेख, सुभद्रा बांदा, और बेन मंडेलकर्न, स्लम की योजना बनाना: दिल्ली में जेजेसी पुनर्वास और सवदा घेवरा का मामला। दिल्ली परियोजना के शहरों की एक रिपोर्ट, सीपीआर (अगस्त 2014)।

सरकार ने 2021 के नए मास्टर प्लान के तहत प्लॉट के बदले बने हुए मकान देने शुरू किये।

1989 - 90 में केंद्र सरकार ने दिल्ली प्रशासन के जरिये दिल्ली में झोपड़-पट्टियों का एक व्यापक सर्वे करवाया और तब प्रत्येक घर को आवास योग्य मानते हुए एक टोकन जारी किया गया। इसे वी पी सिंह टोकन कहा गया, जिसे सर्वे किये गए पुनर्वास के लिए आवास के एक प्रमाण के रूप में प्रयुक्त किया गया।[6] इसमें पात्रता की कट ऑफ़ डेट को बढाकर 30 जनवरी 1990 से 30 नवम्बर 1998 कर दिया गया।

इस प्रकार जिस तरह के भी हस्तक्षेप हुए वे पुनर्वास के स्थायी पहलुओं जैसे पात्रता तक ही कारगर थे और बेदख़ली के दायरे में आने वाले कार्य विधि सम्बन्धी मुद्दों को नहीं सम्बोधित किया गया। इसके अलावा सर्वे की जरूरतें एवं समुदाय के साथ अनुबंध स्पष्ट रहे। इन अवधियों में झोपड़पट्टियों के प्रबंधन की जवाबदेही प्रारम्भिक तौर पर दिल्ली के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर रही, बाद में दिल्ली विकास प्राधिकरण की हो गई ऐसे ही दोनों ही संस्थाओं में अदला बदली होती रही।

बॉक्स - 1 बेदख़ली पर अंतर्राष्ट्रीय क़ानून

मानवाधिकारों की वैश्विक घोषणा को आगे बढ़ाते हुए 2007 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने विकास के नाम पर बेदख़ली एवं विस्थापन के नाम पर बुनियादी सिद्धांतो एवं दिशा निर्देशों को जारी किया जो की 1948 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक (Universal) घोषणा और 1966 का आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिज्ञा पत्र से आगे सभी व्यक्तियों को पर्याप्त आवास के अधिकारों को मान्यता देना है हालाँकि आगे के सालों में संरचनात्मक विकास एवं दूसरी परियोजनाओं के कारण ढेर सारे लोगों को परियोजनाओं के लिए जमीन उपलब्ध कराने के लिए उनके घरों से उजाड़ना पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश कहता है की जबरन बेदख़ली पर्याप्त आवास के अधिकार का उलंघन करता है और बेदख़ल होने वाले व्यक्तियों एवं समुदाय के लिए संकट पैदा करता है। इसलिए इससे बचने या परिणामों को कम करने के लिए जरुरी सिद्धांतो का एक नियम तय करता है।

मूल रूप से, इसके दिशा निर्देशों के तहत मुआवजा और पुनर्वास को और जीवन एवं आजीविका को कम से कम व्यवधान को सुनिश्चित करने के लक्ष्य को निर्धारित करता है। यह इस बात का भी ख्याल करता है की बेदख़ली के जरिये लोगो की जीवन स्थितियां और ख़राब न हो जाये। प्रक्रियात्मक तौर पर ये दिशा निर्देश तीन तत्वों को सुनिश्चित करने की मांग करते है - 1- समावेश या सभी व्यक्ति पुनर्वास के पात्र है। 2 - स्वाभाविक न्याय या यह की उजाड़ने के पहले प्रभावित व्यक्तियों को सूचना दी जाये और उनको सुना जाये! 3 - निवारण - यह की सभी पीड़ित लोगों के लिए प्रशासनिक या न्यायिक उपचार उपलब्ध हो। इन दिशा निर्देशों की सार्वभौमिक स्वीकार्यता है, जिसका मतलब यह है की सभी लोगों को अधिकार प्राप्त है और यह राज्य की जिम्मेवारी है की इसे संभव करे एवं इसकी प्रक्रिया को सुसंगत बनाये।

[6] दासेर घर्टनर, बिना नंबरों के कैलकुलेटिंग: दिल्ली की मलिन बस्तियों में सौंदर्यवादी सरकारीता। 39(2) अर्थव्यवस्था और समाज (2010), पीपी। 185-217।

सुदामा सिंह : सार्वभौमिक नियत प्रक्रिया की पहली आधुनिक अभिव्यक्ति

2000 के दशक के अंत में कॉमन वेल्थ गेम (जो अगले साल होना था) की तैयारी की परियोजनाओं के निर्माण के लिए कई बेदखल अभियान चलाये गए। कुछ प्रभावित निवासियों ने सरकार पर मनमानी करने और उचित प्रक्रिया नहीं अपनाने का आरोप लगाते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में एक मुकदमा दायर किया। इस कोर्ट ने 2010 में एक आदेश पारित किया, जो सुदामा सिंह केस के नाम से जाना गया।[7] इस आदेश में घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून **(देखे बॉक्स 1)** के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया की सरकार का संवैधानिक रूप से दायित्व बनता है कीवर्तमान नीति के अनुरूप सभी पात्र बेदख़ल लोगों के लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था करें। महत्वपूर्ण बात यह है की इस आदेश में सर्वे और उजाड़े जाने वाले किसी भी बस्ती के निवासियों के साथ मंत्रणा करने को अनिवार्य बना दिया गया चाहे उसकी क़ानूनी स्थिति उजाड़े जाने वाले के पूर्व पुर्नवास स्थल पर बुनियादी नागरिक सुविधाओं समेत पुनर्वास के प्रावधान कुछ भी हो।

उसी साल राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सरकार के तहत एक वैधानिक इकाई[8] दिल्ली अर्बन शेटलर इम्प्रूवमेंट बोर्ड (डी यू एस आई बी) को एक एजेंसी के रूप में झुग्गी झोपड़ियों बस्तियों में पुर्नवास को समन्वय करने के लिए बनाया गया।[9] डी यू एस आई बी कानून 2010 उजाड़े जाने वाले बस्तियों के निवासियों को पुनर्वास प्रदान करने का पहला स्थायी अधिनियम है।यह बस्ती स्तर पर एक कट ऑफ़ डेट की अपेक्षा करता है, पहले 2002 तय किया गया और फिर एक संशोधन के जरिये इसे बढ़ाकर 2006 कर दिया गया। इसका अर्थ यह हुआ की किसी बस्ती को पुनर्वास योग्य तब माना जायेगा जब डी यू एस आई बी द्वारा उसे 1जनवरी 2006 तक उसके अस्तित्व को अधिसूचित किया गया हो। डी यू एस आई बी ने इस तरह की दो अधिसूचनाएं जारी की - पहले में 675 बस्तियों की और दूसरे में 82 अतिरिक्त बस्तियों की।[10] इन दोनों सूचियों को मिला कर दिल्ली में कुल 757 बस्तियां है जिनके निवासी पुनर्वास के योग्य है।

डी यू एस आई बी की नीति

2015 में जी एन सी टी डी ने डी यू एस आई बी क़ानून की धारा 16 के तहत एक नई बस्ती एवं झुग्गी झोपड़ी स्थान परिवर्तन एवं पुनर्वास नीति घोषित की, जिसमें व्यक्तिगत परिवारों के लिए कट-ऑफ़ डेट को बढ़ाकर 1 जनवरी 2015 कर दिया। इस प्रकार, दो तिथियां है, अर्थात किसी परिवार के लिए पुनर्वास हेतु योग्य होने के लिए उसे 2006 से पहले की बनी बस्ती में अवश्य ही रहना चाहिए और 2015 से पहले का दस्तावेज होना चाहिए। बस्ती का अस्तित्व पहले से सूचीबद्ध[11] हो और किसी व्यक्तिगत परिवार के कट-ऑफ, जिसके कम से कम एक व्यस्क सदस्य का नाम 2015 में निर्वाचक नामावली में शामिल है या परिवार का कोई एक व्यक्ती का नाम उससे पहले के सालों में शामिल हो। 2015 की नीति सुदामा सिंह के रुपरेखा में विस्तारित किया गया और बेदख़ली के पूर्व सर्वे एवं पुनर्वास इन - सीटू पुनर्वास को संहिताबद्ध किया गया। इस नीति को 2017 में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत एवं अधिसूचित किया गया है।[12]

---

[7] सुदामा सिंह बनाम जीएनसीटीडी, डब्ल्यूपी (सी) 8904/2009, निर्णय दिनांक 11.02.2010।

[8] डीयूएसआईबी की स्थापना के इतिहास के लिए, देखें, शाहना शेख और सुभद्रा बांदा, दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी): एक मजबूत, प्रगतिशील एजेंसी का सामना करने वाली चुनौतियां, दिल्ली परियोजना के शहरों की एक रिपोर्ट, सीपीआर (मई 2014)

[9] झुग्गी-झोपड़ी बस्ती, जिसे झुग्गी-झोपड़ी क्लस्टर (जेजेसी) के नाम से भी जाना जाता है, अनौपचारिक बस्तियां हैं जो (आमतौर पर) सार्वजनिक भूमि पर स्थित हैं, और उनके पास कोई औपचारिक कानूनी अधिकार या कार्यकाल की सुरक्षा नहीं है। उन्हें कानूनी रूप से डीयूएसआईबी अधिनियम की धारा 2(जी) के तहत झुग्गियों के एक समूह के रूप में परिभाषित किया गया है जो (i) मानव निवास के लिए अनुपयुक्त है; (ii) जीर्ण-शीर्ण, भीड़भाड़, दोषपूर्ण व्यवस्था और ऐसी झुग्गियों के डिजाइन, सड़कों की संकीर्णता या दोषपूर्ण व्यवस्था, वेंटिलेशन की कमी, प्रकाश या स्वच्छता सुविधाओं, या इन कारकों के किसी भी संयोजन के कारण सुरक्षा, स्वास्थ्य या स्वच्छता के लिए हानिकारक; और (iii) 01.01.2006 को विद्यमान के अनुसार कम से कम पचास घरों में निवास किया हो। झुग्गी और झोपरी हटमेंट के लिए हिंदी शब्द हैं। बस्ती एक हिन्दी शब्द है जिसका अर्थ होता है बस्ती।

[10] पहली और दूसरी सूचियां क्रमशः डीयूएसआईबी की वेबसाइट https://delhishelterboard.in/main/wp-content/uploads/2017/01/jjc_list_for_website.pdf और http://delhishelterboard.in/main/wp- पर उपलब्ध हैं। सामग्री/अपलोड/2017/02/List_of_additional_jj_bastis.pdf (01.04.2022 को एक्सेस किया गया)

[11] या 2006 से पहले किसी अन्य तरीके से बस्ती के अस्तित्व को साबित करके - उदाहरण, यह दिखाने के लिए कि बस्ती में किसी के पास 2006 से पहले के पहचान दस्तावेज हैं - लेकिन व्यवहार में DUSIB सूचियों पर निर्भर करता है।

[12] डीयूएसआईबी नीति का अंतिम संस्करण डीयूएसआईबी की वेबसाइट: https://delhishelterboard.in/main/wp-content/uploads/2019/01/Relocation-Policy-2015.pdf (15.04.2022 को एक्सेस किया गया) पर देखा जा सकता है।.

बॉक्स -2 : दिल्ली का जटिल शासन और भूमि मालिकाना

दिल्ली, जिसे राष्ट्रिय राजधानी का दर्जा है, इसकी एक असामान्य शासन प्रणाली है! यह एक विधायिका के साथ संघीय राज्य है। यहाँ का शासन केंद्र सरकार और राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली कानून 1991) की सरकार के अधीन जी एन सी टी डी तथा विभिन्न म्युनिसिपल समितियों के बीच बंटा हुआ है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट के 2018 एक फैंसले के बाद और भी जटिल हो गया और इसके बाद 2021 में जी एन सी टी डी कानून में एक संशोधन किया गया, जिसके जरिये विभिन्न एजेंसियों के बीच शासन की शक्तियों का विभाजन किया गया।

इसी तरह जमीन का मालिकाना भी सरकार के इन स्तरों एवं उनकी एजेंसियों के बीच बंटा है। शहर की जमीन का सबसे बड़ा मालिक केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित डी डी ए है, जिसके पास योजना बनाने का एकाधिकार है और कई बिंदुओं पर यह बस्ती विकास के मामले में प्रभारी भी है। वर्तमान में शहर की पचास प्रतिशत बस्तियां डी डी ए की जमीन पर स्थित है जिनका प्रबंधन डी डी ए द्वारा किया जाता है।

न बहुत से कारकों एवं बेदख़ल की रुपरेखा में बेदख़ली के मुद्दे एवं दिल्ली में पुनर्वास - इस तथ्य से और भी जटिल हो गए की दिल्ली की जमी के मालिक तीन स्तर की सरकारों- केंद्र, राज्य एवं म्युनिसिपल **(देखे बॉक्स -2)**[13] में बंटी हुई बहुत सी एजेंसिया है। विभिन्न जमीनों पर मौजूद बस्तियां इस प्रकार वैधानिक साधनों की बाहुल्यता द्वारा शाषित हैं। उनमें से सभी अलग अलग तरीकों से उन्हें बेदख़ल करने की धमकी देते हैं। आगे के पृष्ट पर टेबल 1 में संयुक्त राष्ट्र के ऊपर कहे गए दिशा निर्देशों के सन्दर्भ में इन विभिन्न कानूनों एवं उनमें से प्रत्येक की प्रक्रियात्मक जरूरतों का एक अवलोकन कराया गया है। विभिन्न कानूनों के तहत जरूरतों में काफी अंतर है और कुछ में तो प्रभावित पार्टी के सुनने का कोई प्रावधान नहीं है जबकि कुछ दूसरों में प्रभावित पक्ष को सुनने एवं उन्हें अपील करने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा डी डी ए ने अपनी जमीन पर बस्तियो के इन - सीटू पुनर्वास के लिए 2019 में एक नीति बनाई,[14] जिसमें पात्रता की वही कसौटी एवं प्रक्रिया रखी गई जो 2015 की डी यू एस आई बी नीति में भी थी। लेकिन मुंबई के बस्ती पुनर्वास प्राधिकरण का अनुगमन करते हुए एक अलग पुनर्वास मॉडल अपनाई गई ।[15] वव्यवहार में वस्तुतः विभिन्न एजेंसिया दावा करती है की निवासियों के पास अलग अलग प्रक्रियात्मक एवं स्थायी अधिकार है इससे स्पष्टता में अभाव के चलते यह तथ्य तय नहीं हो पाता की इसे कैसे लागू किया जाये। जमीन के मालिकाना हक़ भी बहुत स्पष्ट नहीं हो पाने के चलते भी अस्पष्टता और बढ़ जाती है।

[13] दिल्ली में निपटान के वर्गीकरण के आधार पर, सीपीआर नीति संक्षिप्त (मई 2015); और शेख और मंडेलकर्न (2014), सुप्रा नोट 3. सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी के लिए, आलोक प्रसन्ना कुमार, दिल्ली के लिए राज्य का दर्जा: एक वैध मांग, 53 (28) आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक (2018), पीपी 12 देखें।

[14] अंतिम डीडीए नीति को डीडीए की वेबसाइट: http://119.226.139.196/tendernotices_docs/march15/Final%20insitu%20Policy18012019.pdf (11.01.2022 को एक्सेस किया गया) पर देखा जा सकता है।

[15] एसआरए स्लम पुनर्वास के प्रबंधन के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक निकाय है। मॉडल मलिन बस्तियों के पुनर्विकास के माध्यम से कार्य करता है और उनके रहने वालों को बहु-मंजिला फ्लैटों में आवास देता है, जिनकी लागत को भूमि के एक हिस्से का व्यावसायिक रूप से शोषण करके सब्सिडी दी जाती है। अधिक जानकारी के लिए देखें https://sra.gov.in/page/innerpage/about-us.php (15.04.2022 को एक्सेस किया गया)।

टेबल 1: विभिन्न कानूनों एवं नीतियों के तहत बेदखली एवं पुनर्वास की प्रक्रियाएं

कानूनी साधन	संशोधित किया गया	पुनर्वास के लिए पात्रता	नोटिस,सुनवाई/बेदखली/पुनर्वास के पहले	अपील करने के अवसर
संयुक्त राष्ट्र संघ -के दिशा 2007 निर्देश	विकास आधारित लोगों एवं समुदायों का अनैच्छिक विस्थापन	सभी विस्थापित व्यक्तियों एवं समुदायों को पुनर्वास का अधिकार	पैराग्राफ 38-41 विधान कहता है की बेदखली के पूर्व लोगों की भागीदारी और उनसे परामर्श जरूरी है, खासकर लिखित कानूनी नोटिस और जिम्मेवार अधिकारियों के साथ सुनवाई जरूरी है। पैराग्राफ 44 कहता है की बेदखली के पहले पुनर्वास जरूरी है।	पैराग्राफ में सभी 41 निर्णयों के खिलाफ प्रशासनिकएवं न्यायिक पुनरीक्षण की व्यवस्था की गई है।
डीयूएसआबी क़ानून, 2010, 2015 की नीति, 2016 का प्रोटोकॉल	डीयूएसआबी क़ानून की धारा 2 (जी) के तहत जे जे बस्तियों को अधिसूचित किया गया।	1 जनवरी 2006 के पहले अस्तित्व में रही बस्तियां और 1 जनवरी 2015 के पहले बनी झुग्गियां पुनर्वास के योग्य हैं।	हटाने के दो माह पहले नोटिस दिया जाना चाहिए और पुनर्वास के पूर्व पात्रता को निर्धारित करने हेतू सर्वे किया जाना चाहिए।	अपात्र घोषित लोगों के मामलों को सुनने के लिए अपीलीय प्राधिकरण की व्यवस्था की जानी चाहिए।
डीडीए की 2019 की नीति	दिल्ली में केंद्रीय सरकार और डीडीए की जमीन पर स्थित जेजे कॉलोनी और बस्तियां।	उपरोक्त	पुनर्वास से पहले किए जाने वाले सर्वेक्षण और पात्रता निर्धारण, एक सोसाइटी बनाकर सभी पात्र निवासियों की सहमति, स्थानांतरण से पहले प्रदान किए जाने वाले ट्रांजिट आवास/किराए पर आवास।	शिकायतों को सुनने के लिए डीडीए द्वारा नियुक्त अपीलीय प्राधिकारी
2020 के सुदामा सिंह के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का फैंसला	सार्वजनिक भूमि को दखल करने वाले झुग्गी निवासी (2015 की नीति के तहत शामिल लोगों को छोड़कर)	पुनर्वास की पात्रता को तय करने के लिए लोगों का सर्वे किया जाना चाहिए।	बेदख़ली के पहले निवासियों के साथ एक सही विचार विमर्श के साथ सर्वे की अनिवार्यता और मौजूदा नीति के तहत पुनर्वास	कुछ भी नहीं
उचित मुआवज़े का अधिकार एवं जमीन अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन क़ानून 2013 में पारदर्शिता	वैसी जमीन के मालिक या दख़ल करने वाले व्यक्ति जिसे सरकार द्वारा सार्वजानिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहित किया गया।	सभी प्रभावित परिवार पुनर्वास के योग्य है चाहे जमीन पर उनका मालिकाना हक़ न हो।	क़ानून का अध्याय III और IV सामाजिक प्रभाव के मूल्यांकन को अनिवार्य बनाता है और अधिग्रहण के पूर्व नोटिस देना जरुरी है। धारा- 38 के अनुसार विस्थापन के पहले पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन की प्रक्रिया को पूरा करना जरुरी है।	धारा - 64 के तहत एल ए आर आर प्राधिकरण के पास और इसके तहत हाईकोर्ट में अपील करने का अधिकार।
सार्वजनिक परिसर (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदख़ली) क़ानून 1971	(केंद्र या राज्य सरकारेंडीडीए,एमसीडी,डीएमआरसी,कोई अन्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय या पीएसयू की जमीन या बिल्डिंग जैसे दिल्ली के सार्वजनिक परिसरों पर) अनधिकृत कब्जाधारियों	बिना किसी पुनर्वास की बेदख़ली	धारा- 4 कहता है की बेदख़ली के सात दिनों के अंदर अनधिकृत कब्जाधारियों को कारण बताओ नोटिस भेजा जाये, अगर जरूरत हो तो सुनवाई की व्यवस्था भी की जाये। धारा- 5 के अनुसार बेदख़ली के आदेश के पूर्व 15 दिन का नोटिस दिया जाये।	धारा- 9 बेदख़ली के आदेश के ख़िलाफ़ जिला कोर्ट में अपील करने का अधिकार देता है

एमसीडी क़ानून, 1957	बिल्डिंग जिसे मंजूरी के बिना बनाया गया (धारा- 343),जो खतरनाक है (धारा – 348),मानव आवास के अयोग्य है (धारा – 368)	उक्त ढांचा को बिना पुनर्वास के ध्वस्त करना धारा- 450 के तहत विवेकाधीन मुआवजा की व्यवस्था ।	धारा 441--444 कहता है की कमिश्नर के हस्ताक्षर के साथ लिखित नोटिस जरुर भेजा जाना चाहिए जिसमें कारण बताने या अनुपालन का एक उपयुक्त समय स्पष्ट हो।	तोड़ने के आदेश से प्रभावित कोई व्यक्ति धारा 347 ए के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण में अपील कर सकता हैं।
डी डी ए क़ानून 1957	कोई निर्माण जो मास्टर प्लान या जोनल विकास योजना का उल्लंघन कर के या बिना ज़रूरी अनुमति, अनुमोदन एवं मंजूरी के किया गया हो।	बिना पुनर्वास के तोड़ा जाना।	धारा- 30 कहता है की झुग्गी बस्ती तोड़ने के आदेश का 5 से 15 दिनों का नोटिस दिया जाये। कारण बताओ नोटिस तोड़ने के आदेश से 7 से 30 दिनों पहले डीडीए (आपत्तिजनक निर्माणों को हटाओ) नियम 1975 के तहत दिया जाये और सुनवाई की भी व्यवस्था की जाये।	निर्माण ध्वस्त करने के आदेश से पीड़ित किसी भी व्यक्ति की अपील को सुनने के लिए एमसीडी क़ानून के तहत एक अपीलीय न्यायाधिकरण की व्यवस्था।
रेलवे क़ानून 1989	रेलवे की जमीन पर 'नरमअतिक्रमण'(अ स्थायी निर्माण) 'कठोर अतिक्रमण'(स्थायी लम्बे समय के लिए) के मामले में सार्वजानिक परिसर क़ानून 1971 लागू किया गया (ऊपर देखे) ।	बिना पुनर्वास के बेदख़ल किया जाना।	रेलवे वर्क्स मेनुअल के 813 -814 पैराग्राफ के तहत सेक्शन इंजिनियर द्वारा सर्वे करना;रेलवे क़ानून की धारा 147 के तहत बेदख़ली,विध्वंस एवं अपराधिक अभियोग चलाना ।	कोई नहीं
वक़्फ़ क़ानून 1995	किसी भी जमीन मकान या स्थान दूसरी सम्पत्ति,जो वक़्फ़ बोर्ड की है उसका अतिक्रमण।	बिना पुनर्वास एक बेदख़ली	धारा 54 कहता है की वक़्फ़ बोर्ड का सीईओ कथित अतिक्रमणकारी को एक कारण बताओ नोटिस जारी करे। बाद में सीईओ न्यायाधिकरण को एक आवेदन कर सकता है, जो ज़रुरत पड़ने पर सुनवाई के बाद बेदख़ली आदेश जरी कर सकता है। अतिक्रमणकारी को बेदख़ली के आदेश का पालन 45 दिन के अंदर करना होगा, इसके बाद ताकत का इस्तेमाल किया जा सकता	कोई नहीं
प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल और अवशेष कानून, 1958	एक संरक्षित स्मारक के आसपास के क्षेत्र में स्थित किसी बिल्डिंग जो संरक्षित, निषिद्ध एवं विनियमित (regulated) है, के निवासी (मालिक समेत)	पुनर्वास के बिना ध्वस्त करना, धारा - 27 एवं 28 के तहत विवेकाधीन मुआवज़ा का भुगतान।	धारा - 19 केंद्र सरकार को ध्वस्त करने का आदेश जारी करने का अधिकार देता है। प्राचीन स्मारक की नियमों 1959 की धारा 38 के तहत किसी अनधिकृत मकान या मानदंडों का उलंघन कर किये गए निर्माण के मालिक या निवासी को नोटिस किया जायेगा। किसी नोटिस या सुनवाई पर विचार नहीं होगा।	कोई नहीं

अजय माकन : इन विभेदों को सुलझाने का प्रयास

बेदख़ली में मामले में इन प्रक्रियात्मक अस्पष्टताओं के साथ - साथ विभिन्न एजेंसियों के बीच विवाद बेदख़ली के एक मामले में सामने आये, जो दिसंबर 2015 में पश्चिम दिल्ली के शकूर बस्ती में हुआ। यह बेदख़ली रेलवे की जमीन (जो केंद्र सरकार की है) पर कड़ाके के ठण्ड में की गई थी। इसमें बेदख़ली से पूर्व न तो कोई सर्वे किया गया और न ही पुनर्वास की व्यवस्था की गई। कुछ प्रभावित परिवारों एवं स्थानीय राजनीतिज्ञों ने दिल्ली हाई कोर्ट में सुरक्षा की मांग करते हुए पेटिशन दाखिल किये। जिसमे यह तर्क दिया गया की यह बेदख़ली 2015 की नीति की क़ानूनी जरूरतों और सुदामा सिंह केस में दिए गये आदेश का उलंघन करता है। कोर्ट ने उनके तर्क को माना और बेदख़ली पर रोक लगा दी। इसके साथ ही कोर्ट ने अंतिम राहत भी प्रदान की और राहत प्रदान करते हुए बेदखली पर रोक लगा दी। इसके साथ ही कोर्ट ने यह अंतिम राहत भी प्रदान की कि बेदख़ल परिवार केस की सुनवाई तक उसी स्थल पर बने रह सकते है। कोर्ट ने सरकार को यह निर्देश भी दिया की उनके लिए बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराये। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने डीयूएसआईबी को निर्देश दिया की किसी भी बेदख़ली के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया विकसित की जाये, जिसे डीयूएसआई बी ने अपने 2017 में एक प्रोटोकॉल के रूप में अधिसूचित किया।[16] इस प्रोटोकाल (विज्ञप्ति) में कई अंतराल को सम्बोधित किया गया और कहा गया की किसी भी तरह की बेदख़ली को परीक्षा एवं खराब मौसम के दौरान न चलाया जाये। इसके अलावा सर्वे एवं पात्रत्ता निर्धारण प्रक्रिया को पूरा, और वैकल्पिक निवास की व्यवस्था किये बिना बेदख़ली न किया जाये।

2019 में हाईकोर्ट ने शकूर बस्ती केस में अपना फैसला सुनाया।[17] कोर्ट में रेलवे ने बहस किया की चूँकि रेलवे केंद्र सरकार की एक एजेंसी है और यह एक अलग रेलवे क़ानून द्वारा संचालित है, इसलिए 2015 की नीति उस पर लागू नहीं होती है। कोर्ट ने उनकी इस दलील को ख़ारिज कर दिया और कहा की 2015 की नीति दिल्ली की सभी जमीन पर लागू होती है चाहे उसका मालिक कोई भी हो और यह कहा की एक नोडल एजेंसी के रूप में डीयूएसआईबी से बेदख़ली के पूर्व परामर्श करना अनिवार्य हैं। संविधान के प्रावधानों एवं अंतर्राष्ट्रीय क़ानून की और ध्यान दिलाते हुए कोर्ट ने यह मान्यता दी की शहर के सभी निवासियों को न्याय एवं नियत प्रक्रिया का अधिकार है, चाहे उनके आवास और उनके जीवन के अन्य पहलुओं को स्थिति जो भी हो। कोर्ट ने सामाजिक न्याय एवं मर्यादा के सिद्धांत के सिद्धान्तो को लागू किया जैसा की अपनी 'राइट टू दी सिटी' में हेनरी लेफेवरे द्वारा सुस्पष्ट किया गया है। कोर्ट ने यह भी कहा की 2015 की नीति सभी जे जे कालोनियों (अधिसूचित) में लागू होंगे और दूसरे मामलों में सुदामा सिंह मामले की प्रक्रिया लागू होगी। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया की सीयूएसआईबी द्वारा विकसित प्रोटोकॉल का भी दिल्ली की जमीन के मालिक एजेंसियाँ प्रक्रियात्मक एवं वित्तीय रूप से तैयार होकर पालन करें।

आज की हालत : क्या प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षित है?

अजय माकन केस में फैसला आने के कारण 2015 की नीति को सभी 757 बस्तियों में लागू कर दिया गया। इन बस्तियों की सूची, जमीन के प्रभार की अनदेखी करते हुए 2010 के क़ानून के तहत डीयूएसआईबी ने अधिसूचित किया था। हालाँकि, दिल्ली में कई बस्तियां है जिन्हें इन सूचियों में अभी तक जगह नहीं मिली है इनका क्या हुआ? अजय माकन मामले में कोर्ट ने स्पष्ट किया की अगर कोई व्यक्ति 2015 की नीति में शामिल नहीं है तो भी उन पर सुदामा सिंह मामले में दिए गए निर्देश लागू होंगे, यानि बस्ती के सभी निवासियों के लिए प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की गारंटी होगी, चाहे उनकी बस्ती अधिसूचित बस्तियों में शामिल नहीं हो या उनकी बस्ती 2015 के कट ऑफ़ डेट के बाद अस्तित्व में आई हो। रेलवे एवं डी डी ए द्वारा अपनाई गई 2019 की नीति के मामले में अवलोकन के बाद यह कहा जा सकता है की आज दिल्ली के अधिकांश झुग्गीवासियों के पास बेदख़ली के ख़िलाफ़ कुछ प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपलब्ध है। दूसरी तरफ, पांच सालों बाद शकूरबस्ती के निवासी बदहाली की स्थिति में रह रहे हैं। उनके सर पर लगातार बेदखली का ख़तरा मंडरा

[16] प्रोटोकॉल कोDUSIB's पर देखा जा सकता हैwebsite:https://delhishelterboard.in/main/wp-content/uploads/2012/01/Protocol-1.pdf(accessedon15.04.2022).

[17] अजय माकन बनाम जीएनसीटीडी, डब्ल्यूपी (सी) 11616/2015, निर्णय दिनांक 18.03.2019 (दिल्ली उच्च न्यायालय)।

रहा है। अभी तक उनके पुनर्वास का कोई प्रयास नहीं किया गया है और दिल्ली हाईकोर्ट ने जो भी प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की गारंटी की है वे उनके सहारे रह रहे हैं। 2020 में भी वे एक बार फिर खतरे में थे इस बार सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के तहत, जिसमें रेलवे लाइन के किनारे की बस्तियों को उजाड़ने का आदेश दिया गया था।[18] तब वर्षों के प्रयासों एवं नियम प्रक्रिया स्थापित करने की वकालत के बाद केंद्र सरकार ने कोर्ट को यह बताया की सभी बस्तियों का सर्वे और उनके पुनर्वास की व्यवस्था लंबित होने के चलते कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।[19] हालांकि, इस मामले ने प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों की सीमाओं को भी दर्शाया, जिससे पुनर्वास उपायों की गुणवत्ता को लेकर मूल प्रश्न भी उठे, और किसी भी पुनर्वास के दौरान विघटन होने की संभावना तो रहती ही है।[20]

दिल्ली की बस्तियों को 'साफ' करने की प्रक्रिया, दिल्ली को एक विश्व स्तरीय शहर बनाने की सरकारी कार्यक्रम की रोशनी में जारी रहेगी। इस कार्यक्रम के तहत शहर की सरकारी जमीन का बड़े पैमाने पर पुनर्विकास करना है और स्मार्ट सिटी मिशन को पूरा करना है। पर्यावरण की रक्षा के नाम पर चलाये जा रहे हालिया न्यायिक प्रयास, रेलवे लाईनों के किनारे बसी बस्तियों और यमुना नदी के आस पास बनी झोपड़ियों को हटाने के निर्णय बड़े पैमाने पर लोगों को भयाक्रान्त कर रहा है। जो बस्तियां योजनाबद्ध संरचना के रास्ते में पड़ती है वे भी चपेट में है। इस प्रकार के बदले परिदृश्य मे कोर्ट में काफी कावायद होगी और कोर्ट में यह नाटक लगभग हर रोज प्रस्तुत होगा।

निष्कर्ष

बस्ती निवासियों जैसे हाशिये पर रहने वाले समूह के प्रति नियत प्रक्रिया को अपनाना खासकर महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह उनके प्रतिदिन अस्तित्व के विश्वासघाती मुकाम पर एक कानूनी आधार प्रदान करता है। समान नागरिकता का उनका पहला दावा है कि शहर के निवासी के रूप में, जो इसके कानूनों एवं प्रक्रियाओं द्वारा संरक्षित है, उनका सर्वे हो उनकी गिनती और पहचान हो। यह योजना एवं विकास मानक पर एक बड़े वार्तालाप के लिए आधार बनाता है। यह बताता है कि शहर के सारे निवासियों को शामिल करते हुए एक ज्यादा मानवीय शहरी नीति बनाने, तत्काल सुरक्षा एवं सहारा देने के लिए कानून की स्पष्टता कितनी दूर जा सकती है। मास्टर प्लान दिल्ली 2041 के इर्द गिर्द नागरिक द्वारा नीति 'मैं भी दिल्ली' अभियान की हिमायत इस बातचीत का आह्वान करता है।

संयुक्त राष्ट्र संघ के दिशा निर्देश समुदायों को बेदखली के चलते हुए नुकसान एवं विघटन को कम करने के लिए लाभदायक सिद्धान्तों-एवं व्यवहारों को निर्धारित करते हैं। ये निर्देश पीएमवाई जैसी स्कीमों के संदर्भ में खास तौर पर महत्वपूर्ण है, जो शहरी गरीब को आवास प्रदान करने के लिए इन सीटू बस्ती पुनर्विकास का पक्ष लेते है।[21] यह याद करना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक पुनर्विकास में बेदखली शामिल होगा। दिल्ली के मामले में जब सरकार एजेन्सियों की बहुलता जमीन के मालिक और प्रशासक हैं, इनके आपस की परिक्रिया इतनी विकट है की समुदायों इसमें चौतरफा संकट में फंसे हैं। अगर डीयूएसआईबी और डीडीए की नीतियों के साथ सुदामा सिंह और अजय माकन के मामले में दिये गये कोर्ट के आदेश को पढ़े तो एक मजबूत अधिकारों आधारित रूपरेखा बनती है जो दिल्ली शहर में इन समुदायों के इन दावों को बनाने एवं सुनिश्चित करने के अधिकारों का समर्थन करती है।

---

18 एमसी मेहता बनाम भारत संघ, डब्ल्यूपी (सी) 13029/1985, आदेश दिनांक 31.08.2020 (भारत का सर्वोच्च न्यायालय)। आदेश के विश्लेषण और आलोचना के लिए, देखें, मनीष, दिल्ली में रेलवे पटरियों के किनारे झुग्गी बेदखली पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अनुचितता: एक व्याख्याकार, इंडिया हाउसिंग रिपोर्ट (सितंबर 2020), https://indiahousingreport.in/outputs/ राय/अनुचित-की-सुप्रीम-कोर्ट-ऑर्डर-ऑन-स्लम-बेदखली-साथ-रेलवे-ट्रैक-इन-दिल्ली-ए-एक्सप्लेनर/; एनी बनर्जी, दिल्ली की रेलवे झुग्गी-झोपड़ियों को खाली करने के कोर्ट के आदेश से 'बड़ी परेशानी' होगी, कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी, रॉयटर्स (सितंबर 2020), https://www.reuters.com/article/us-india-court-landrights-idUSKBN25V1XU (सभी एक्सेस किए गए) 16.04.2022 को)

19 एमसी मेहता बनाम भारत संघ, डब्ल्यूपी (सी) 13029/1985, आदेश दिनांक 14.09.2020 (भारत का सर्वोच्च न्यायालय)।

20 उदाहरण के लिए देखें, मुक्ता नाइक और स्वाति जानू, सेविंग बस्ती, द इंडियन एक्सप्रेस (अक्टूबर 2020), https://indianexpress.com/article/opinion/saving-bastis-delhi-government-jj- क्लस्टर-6722188/ ; ऋत्विका मिश्रा, 'पुनर्स्थापना को एक सहज संक्रमण होना चाहिए': दिल्ली के झुग्गीवासियों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के परिणाम की चिंता, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस (अक्टूबर 2020), https://www.newindianexpress.com/thesundaystandard/2020/oct/25/ रिसेटलिंग-हैस-टू-बी-ए-स्मूथ-ट्रांज़िशन-दिल्ली-स्लम-डीवेलर्स-चिंता-के बारे में-आउटकम-ऑफ़-एससी-ऑर्डर-2214716.एचटीएमएल (सभी 16.04.2022 को एक्सेस किए गए)।

21 यह इस तथ्य के बावजूद है कि पीएमएवाई के पास लाभार्थी के नेतृत्व वाले निर्माण मॉडल के रूप में एक वैकल्पिक विकल्प है, जहां निवासियों को अपने घर बनाने के लिए नकद हैंडआउट दिया जाता है, जो पूरे देश में लोकप्रिय है। यह विकल्प, जो झुग्गी-झोपड़ी आवास में सुधार के लिए बहुत कम विघटनकारी तरीका प्रदान करता है, उस भूमि के कार्यकाल को नियमित करने की आवश्यकता होगी जिस पर मलिन बस्तियाँ स्थित हैं। ओडिशा जैसे कुछ राज्यों ने झुग्गी-झोपड़ियों की भूमि को नियमित करने के लिए कानून बनाए हैं, और झुग्गी-झोपड़ियों को बेदखल किए बिना बुनियादी ढांचे और कार्यकाल में सुधार करने के लिए PMAY के साथ JAGA मिशन जैसे राज्य कार्यक्रमों को परिवर्तित किया है।

हालांकि इन प्रावधानों के असंगत उपयोग को देखते हुए बेदखली का सामना करते समुदायों को तात्कालिक राहत दिलाने और पुनर्वास के स्कीमों को शामिल करवाने (स्थागन आदेश के रूप में) के लिए कोर्ट का सहारा ही लेना पड़ता है। बस्तियों के मुकदमेबाजी (सर्वे एवं आवंटन की मांगों) एवं वकालत के साथ रह रहे इन समुदायों को हर रोज मद्द करने के लिए दिल्ली हाउसिंग राइट्स टास्क फोर्स जैसे समूह काम करते हैं। हालांकि ये मुकदमें काफी खर्चीले होते हैं, जिसमें काफी समय एवं संसाधन भी लगता है। मुकदमों की सुनवाई में भी काफी देरी होती है। इसलिए उचित प्रक्रिया का पालन करना जरूरी है, न केवल नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा, बल्कि जमीन के मामलों को जल्दी सुलझाने के लिए भी। यह तभी संभव है जब डीयूएसआईबी, जो डीयूएसआईबी कानून के साथ बस्तियों के पुनर्वास की एक नोडल एजेन्सी है पर भरोसा कर अधिक संमिलन बनाकर सभी पदाधिकारी काम करें, जैसा कि अजय माकन के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने भी दुहाराया है।

अन्ततः यह नोट करना महत्वपूर्ण है कि आवास के स्थायी अधिकार के अभी तक अभाव में ही प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपाय कार्यरत हो सकते हैं। वस्तुतः कोर्ट प्रक्रियात्मक सुरक्षा प्रदान करने में काफी उत्सुक दिखाते हैं। क्योंकि आवास के स्थायी पहलुओं के अधिकार की व्याख्या करना जो एक नीति का मामला है ऐसा करना आसान है। यहां तक कि जब कोई नीति पुनर्वास के वास्तविक अधिकार की व्याख्या भी करता है तो कटऑफ तिथियां, पात्रता का शर्त्तों, जो समावेशिक के बजाये बहिष्करण योग्या हैं, के प्रति नौकरशाही आस्था उन्हें अशक्त बना देते हैं और उन समुदायों के लिए वह अधिकार पाना मुश्किल होता है। कठपुतली कॉलोनी में जहां डीडीए ने एक पुनर्विकास परियोजना के जरिये निवासियों के पुनर्वास का प्रायास किया। दो कट ऑफ तिथियों और कई चक्रों में तैयार की गई और इसमें (सूची) के सर्वे के बाद एक अंतिम पात्रता लिस्ट बनाने में 9 साल लग गये। इसके बावजूद कई निवासी इस सूची से बाहर रह गये और पुनर्विकास असंतोषजनक रहा एवं अभी भी पारगमन व्यवस्था लम्बित है।[22] जबकि इस पर संक्षेप में बहस चलाने की गुंजाइश नहीं है, यह महत्वपूर्ण है कि आवास के स्थायी अधिकार के लिए प्रक्रियात्मक उपलब्धियों का इस्तेमाल आन्दोलनों में किया जाना चाहिए। इस तरह का एक अधिकार, यहां तक कि दिल्ली सरकार द्वारा कानून बद्ध कानून- अन्तरालों एवं नौकरशाही कमजोरियों को दूर करेगा, जिनका दिल्ली के शहरी गरीब समुदाय को आज सामना करना पड़ता है।

[22] वेरोनिक ड्यूपॉन्ट, क्षणिक और विभेदित पुनर्वास: कठपुतली कॉलोनी का मामला, दिल्ली, भारत आवास रिपोर्ट (अप्रैल 2021),https://indiahousingreport.in/outputs/ opinion/transient-and-differentiated-resettlement-the-case-of-kathputli-colony-delhi/(accessed on11.01.2022)

आई एच आर के बारे में

इंडिया हाउसिंग रिपोर्ट एक ऑनलाईन आवधिक रिपोर्ट का संग्रह है जो धनिकों को भी साथ लाता है। लेकिन यह जीविका, संरचना, सेवाओं, रहवास और शासन को प्रभावित करने वाले भारत में चल रहे शहरी रूपान्तरण के साथ आवास की खरीद क्षमता, पर्याप्तता, तकनीकि, वित्तीय स्थिति एवं कार्यकाल की मुख्य बहस को भी एक साथ पिरोता है। इस संग्रह और इससे सम्बन्धित रिपोर्ट वर्तमान मुद्दों पर बहस को उत्प्रेरित करने की चाहत रखता है और आवास और इसकी जटिलता, अन्तर प्रतिछेदन एवं नवीनता के अध्ययन के लिए नये निर्देशों को खोजता है।

सीपीआर के बारे में

सेन्टर फॉर पॉलिसी रिसर्च 1973 से भारत का एक नेतृत्वकारी लोकनीति थिंक टैंक रहा है। सीपीआर एक गैर (प्रबुद्ध मंडल) लाभकारी, गैर राजनीतिक संस्था है जो वैसे शोध करने को समर्पित है जो उच्च स्तरीय स्कॉलरशिप का उत्पादन करने (छात्रवृत्ति), बेहतर नीतियां बनाने एवं भारत में जीवन को आकार देने वाली संरचनाओं एवं प्रक्रियाओं के बारे में एवं अत्यधिक मजबूत सार्वजनिक बहस खड़ा करने में सफल हो सके। सीपीआर कई परिप्रेक्ष्यों से भारतीय अर्थव्यवस्था एवं समाज में हो रहे शहरी रूपान्तर की प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, यह समझने का काम कर रहा है कि शहरीकरण कैसे उभर रहा है। कैसे इसका प्रबंधन होता है और यह राज्य के साथ जनता की संलग्नता को कैसे प्रभावित करता है।